

संसद विवरण

२१३०. श्री जगत बर्तन : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५५, १९५६ और १९५७ में प्रत्येक राज्य में 'झंडा दिवस' पर प्रथम अलग कुल कितनी राशि एकत्र हुई;

(ख) इस राशि का किस प्रकार उपयोग किया गया; और

(ग) इस दिवस को और अधिक सफल बनाने के लिये यदि कोई विशेष कदम उठाये गये हैं, हैं तो वे क्या हैं ?

प्रतिरक्षा उपमन्त्री (श्री रघुरामैया) :

(क) एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है जिनमें १९५५ और, १९५६ के झंडा दिवसों पर प्रत्येक राज्य और सर्विस हेड क्वार्टर्स, विदेश में हमारे दूतावासों आदि द्वारा इकट्ठा किया गया चन्दा दिखाया गया है। [रेकॉर्डेड ०रिजिस्ट्रिड ४, अनुबन्ध संख्या १५२]। १९५७ के चन्दे के भाकड़े अभी प्राप्य नहीं है क्योंकि झंडा दिवस सात दिसम्बर १९५७ को ही तो मनाया गया था।

(ख) १९५५ के झंडा दिवस पर इकट्ठे किये गये कुल ६,६८,६८६ रुपये चन्दे से १,२०,००० रुपया संस्था सम्बद्ध खर्च, संभाव्य व्यय और बुकाये जाने वाले ऋण का सामना करने के लिये उठा रखा गया। शेष चन्दा इस प्रकार बाटा गया है :—

	रुपये
१. राज्य और संघ क्षेत्रों की	२,१३,७६५
२. सैनिक हस्पतालों में स्मृति कार्यों के लिये मैडिकल डाइरेक्टोरेट को	३०,०००
३. सर्विस चेंस स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड को	५०,०००
४. सैनिकों को विशेष सुविधाएँ देने के लिये	२०,०००

५. भार्मी हेडक्वार्टर्स	३,५७,६३१
६. नेवल हेडक्वार्टर्स	८०,२६२
७. एयर हेडक्वार्टर्स	१,०७,०५६

राज्यों को जो राशि दी जाती है वह उनके बनेबोलेष्ट फंड की पुनः पूर्ति करती है और राज्यों के सोल्जर्स, सेलर्स और एयर मेन्स बोर्डों द्वारा भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के संकट निवारण में खर्च होती है। तीनों सेवाओं को दी गई राशि का ७० प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों की भलाई के लिये उपयुक्त होता है और ३० प्रतिशत सेवा कर रहे सेविकों को सुविधाएँ देने के लिये। भूतपूर्व सैनिकों के लिये राशिबैं, सर्विस हेडक्वार्टर्स द्वारा कमानी, क्षेत्रों, रेंजिमेंटल सेंट्रों और रिकार्ड आफिसों को अपने अपने बनेबोलेष्ट फंड की पुनः पूर्ति करने को दी जाती है। इन फंडों से अवर श्रेणी और उनके आश्रितों को जो संकट में हों ८ रुपये से २५ रुपये तक के छोटे छोटे अनुदान और १०० रुपये तक के बड़े अनुदान दिये जाते हैं। सेवा कर रहे सेविकों के लिये निर्धारित किया गया ३० प्रतिशत भाग उन्हें सुविधाएँ जैसा कि खेलो का सामान, भ्रमण, रेडियो, ग्रामोफोन आदि देने में उपयुक्त होता है।

१९५६ के झंडा दिवस पर इकट्ठे किये गये चन्दे का अभी तक बटवारा नहीं किया गया।

(ग) प्रतिवर्ष जो पग उठाये जाते हैं वह लोक सभा में २३ नवम्बर, १९५५ को उत्तर दिये गये अताराकित प्रश्न संख्या ६० के भाग (क) के उत्तर में जतना दिये गये थे।

Teachers' Association of Punjab

2131. Shri Daljit Singh: Will the Minister of Education and Scientific Research be pleased to state:

(a) whether any representation has been received recently by Government from the Teachers' Association of the Punjab State; and

(b) if so, the action taken thereon?

The Minister of State in the Ministry of Education and Scientific Research (Dr. K. L. Shrimall): (a) Yes, Sir.

(b) As the matter concerned the Government of Punjab, the representation was forwarded to that Government for necessary action.

Delhi University

2132. Shri N. R. Munisamy: Will the Minister of Education and Scientific Research be pleased to state whether it is a fact that a Chair for Buddhist studies has been established in Delhi University, though there are no facilities there for higher studies in Pali?

The Minister of State in the Ministry of Education and Scientific Research (Dr. K. L. Shrimall): A Statement giving the necessary information is placed on the Table of the Lok Sabha. [See Appendix IV, annexure No. 143.]

Scholarships to Other Backward Classes

2133. Shri N. R. Munisamy: Will the Minister of Education and Scientific Research be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1342 on the 9th December, 1957 and state:

(a) the criteria that is adopted in awarding scholarships to the other Backward Class students;

(b) the total amount set apart from the award of scholarships to the other Backward Class students; and

(c) whether a statement showing the amounts of scholarships granted to Backward Class students category-wise for the year 1957-58 will be laid on the Table?

The Minister of State in the Ministry of Education and Scientific Research (Dr. K. L. Shrimall): (a) A statement is laid on the table

of the Lok Sabha. [See Appendix IV, annexure No. 144.]

(b) and (c). No separate amount has been set apart for the award of scholarships to the Other Backward Class students. Government have sanctioned a lumpsum grant of Rs. 2 crores for scholarships during 1957-58 to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes. The estimates of the amounts of scholarships that are being granted to Backward Class students category-wise for the year 1957-58 are, however, as under:—

Scheduled Castes	Rs. 104 lakhs
Scheduled Tribes	Rs 20.5 lakhs
Other Backward Classes	Rs 75.5 lakhs
Total	Rs. 200 lakhs

हिमाचल प्रदेश में भूमिहीन कृषक

२१३४. श्री नेक राम नेगी . क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह जानकारी एकत्र कर ली है कि हिमाचल प्रदेश में भूमिहीन कृषकों को देने के लिये कितनी परती भूमि है;

(ख) इन भूमि को किस प्रकार और कितनी अवधि के लिये भूमिहीन लोगों को दिया जायेगा ; और

(ग) १९५५-५६ में कितने भूमिहीन कृषकों को कितने एकड़ भूमि दी गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री वातावर) : (क) १९५५-५६ के आकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में ९९,३६० एकड़ सर्वे गई की कृषि योग्य परती भूमि है जिसमें व्यक्तियों की निजी भूमि भी शामिल है।

(ख) भूमिहीन लोग जब भी आवेदन पत्र देते हैं, उन्हें हिमाचल प्रदेश के नोटोर नियमों के अनुसार कृषि योग्य परती भूमि दी जाती है।

(ग) १९५५-५६ में ५८९ भूमिहीन कृषकों को कुल ४१२ एकड़ भूमि दी गई।